

प्रैष का पाप के न्यूज़ इंडिया के लार्ज शोब्स टेलीविज़न में हुआ था। (६)

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

मध्यप्रदेश के अलाइन कमीशाल में आयोजित हुआ। (७)

दैनिक कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक १० सितम्बर, १९९६ (माद १९, १९१८) (८)

समय १०.३० बजे दिन.

मिहिं लक्ष्मण इति १. प्रश्नोत्तर. अल सीमा वि (९)

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जावेंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

२. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण।

अनेन नियमक (१) सर्वथी गमनिवास खवत, रमाशंकर भारद्वाज, रामविचार नेताम, सदस्य, मुरेना एवं भिण्ड जिले के ग्रामों में बाढ़ से जनजीवन के प्रभावित होने एवं फसलों की क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के चरमा विकास खंड अन्तर्गत बीड़ी मजदूरों की भविष्यनिधि की पासबुक न दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) श्री गुजरुमार पटेल, सदस्य, सीहोर तथा जावर शुगर मिलों द्वारा गने के मूल्य का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) श्री गमविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले में तेंदूपत्ता शाख कतरन हेतु स्वीकृत राशि का दुरुपयोग होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

३. याचिकाओं की प्रस्तुति।

(१) श्री गमदयाल अहिंसक, सदस्य, छतरपुर जिले की नगर पंचायत गढ़ी मलहार में उनीष्ठ योजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(२) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम कुटेश्वर में विद्युत क्लेक्शन दिलाये जाने,

(ख) ग्राम पहाड़ी के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने,

(ग) ग्राम घुघर के विद्यार्थियों के लिये पेयजल, छात्रावास एवं खेल मैदान आदि सुविधाएं दिलाये जाने,

(घ) ग्राम झेरेला में आदिवासी बालक आश्रम खोले जाने,

(ङ) ग्राम बिलहरी के लक्ष्मण सागर जलाशय की सफाई कराने एवं आस-पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराये जाने, तथा

(च) शाजापुर जिले के ग्राम उंडई में विद्युत सब स्टेशन लगाये जाने,

- (३) श्री शेलेन्ड्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के भद्रभदा पुल के पास एक और पुल बनाये जाने,
- (४) श्री रमकुमार पटेल, सदस्य, जबलपुर जिले के-
- (क) ग्राम बचैया स्थित ए.एल. राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने, तथा
 - (ख) कटंगी नगर में ३० बिस्तरों वाला चिकित्सालय खोले जाने,
- (५) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम मोरगढ़ी में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने, एवं
- (६) श्री अमीन साय, सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम कमारी में हाई स्कूल खोले जाने, के संबंध में याचिकावें प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित समय

- १ घन्टा (१) श्री रमेश सॉलोमन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १९ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- १ घन्टा (२) श्री रविन्द्र चौधे, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक २० सन् १९९६) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

५. नियम १४२-के अधीन अल्पकालीन चर्चा।

४५ मिनिट प्रदेश की अध्यूरी सिंचाई/लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, उदय मुदलियार, बच्चन नायक, छत्रपति सिंह एवं रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्यगण चर्चा उठावेंगे।

६. नियम ५२ के अधीन आघे घन्टे की चर्चा।

- (१) दिनांक १९ मार्च, १९९६ को श्रम मंत्री से पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या ५० (क्रमांक ६६२१) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य चर्चा उठावेंगे।
- (२) दिनांक २० अगस्त, १९९६ को मछली पालन मंत्री से पूछे गये तारंकित प्रश्न संख्या ११ (क्रमांक ६०२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठावेंगे।

भोपाल।

दिनांक ९ सितम्बर, १९९६।

अशोक चतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।